लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
111/2021 (GCMS 2021/477)	25.11.2021	14.12.2021

अनवान

धर्मवीर सिंह पंवार एडवोकेट केयर ऑफ स्व. रमेश नागदा 260, हनुमान चौक, गणेश नगर पायड़ा, कुन्दन परिसर के पीछे, उदयपुर (राज.)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.10.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./111/2021(सू.अ.)(14.12.21)/1193 दिनांक 25.11.2021 से लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 14.12.2021 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 14.12.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जान–बुझकर उसके द्वारा चाही गई सूचनाऐं आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं दिलाने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/रसद/विधि/2021/4375 दिनांक 14.12.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौडगढ (राज.)

प्रार्थी श्री धर्मवीर सिंह पंवार, अधिवक्ता केयर ऑफ रमेश नागदा 260, हनुमान चौक, गणेश नगर, पायडा कुन्दन परिसर के पीछे, उदयपुर (राज.) के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बायोडीजल के बारे में सूचना चाही गई थी। प्रार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्र क्रमांक रसद/विधि/58/2020 दिनांक 26.10.2021 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई हैं। इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

जिला रसद अधिकारी द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की सूचना दिया जाना शेष नहीं हैं। प्रार्थी ने माननीय आप न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की हैं, उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रति आप न्यायालय में भी इस पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत हैं जो सीधे ही आप न्यायालय से भी प्रार्थी को दी जा सकती है। उपरोक्त समस्त परिपेक्ष्य में अपील निस्तारण योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/रसद/विधि/2021/4375 दिनांक 14.12.2021 से प्रेषित कर्मेन्ट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक रसद/विधि/58/2020 दिनांक 26.10.2021 से उपलब्ध करवा दी गई है। इस पर हाजिर अपीलार्थी ने अवगत कराया कि उन्हें आदिनांक तक वांछित सूचना या उससे संबंधित कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तथ्यों का गहनतापूर्वक चिंतन मनन किया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना से संबंधित पत्र पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (रसद) एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **14.12.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ताराचन्द मीणा)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)